

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौमूँ जयपुर
पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवो के रांघ अभियान 2021
प्राथर्ना पत्र रांख्या... 196/2

राकार बनाम अजय वगै० चौमूँ

अन्तर्गत धारा 131,132 एल० आर० एक्ट 1956

2021
477

निर्णय दिनांक:- 15/11/21

निर्णय

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि तहसीलदार चौमूँ द्वारा प्रशासन गाँवों के रांघ अभियान 2021 के कैम्प जैतपुरा में रास्ते संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु ग्राम जैतपुरा तहसील चौमूँ के निम्नांकित प्रकरण में मौका निरीक्षण रिपोर्ट, एवं नजरी नक्सा ट्रेस में लाल स्याही से दक्षिण भूमि पर मौके पर चालू सार्वजनिक आम रास्ता के रूप में उपयोग में आना बताया जाकर प्रकरण अन्तर्गत धारा 131,132 राज० भू-राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण प्रेषित किया है, रिपोर्ट तहसीलदार चौमूँ एवं वार्ड पंच ग्राम पंचायत जैतपुरा के अवलोकन से मौके पर स्थाई रूप से आम रास्ता चालू होने का समाधान होने पर प्राथर्ना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः राज० भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 राज० भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 के नियम 58,59,60,66 व 86 के प्रावधान अनुसार एवं राजस्व (ग्रुप-6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र कमांक प3(2)राज-6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 के अनुसरण के अनुसार निम्नांकित राजस्व ग्राम की भूमि में से (मुताबिक एनक्सर-1 व नजरी नक्सा ट्रेस) अनुसार किस्म गै.मू. रास्ता दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। खातेदारी भूमि में संलग्न नक्शा ट्रेस के अनुसार गै०मु० रास्ता दर्ज करने के आदेश किये जाते हैं।

क्र०स०	नाम राजस्व ग्राम	खं.न.	कुल रकबा (हेक्ट० में)	किस्म	रास्ते दर्ज हेतु स्वीकृत रकबा (वर्गमीटर में)	वि.वि
1.	जैतपुरा	160/1	0.80	चा.2	130	
2.		160/3	0.05	चा.2	400	
3.		161	0.23	चा.2	200	
4.		164	0.64	चा.2	330	
5		164/2281	0.06	चा.2	200	
6		164/2628	0.01	चा.2	100	
7		165	0.03	बा.1	100	
8		169	0.44	चा.2	200	
9		172	0.67	चा.2	350	
10		172/2282	0.06	चा.2	150	
11		175	0.77	चा.2	400	
12		175/2283	0.10	चा.2	300	
13		1508/2497	0.37	चा.2	100	
14		1511	0.25	चा.2	200	
15		1516	0.18	चा.2	130	
16		1517	0.46	चा.2	300	
17		1660	0.58	बा.2	140	
18		1661	0.74	बा.2	100	

कैम्प प्रभारी अधिकारी
एवं उपखण्ड अधिकारी
चौमूँ (जयपुर)